न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2018 (अपील नामा.)
RCMS NO : 2018/00029

अनवान

1. श्रीमती गणेशी पुत्री डालू तेली पत्नि श्री तारा चन्द तेली, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लेहरी लाल पिता डालू तेली, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री गोपू पिता डालू तेली, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती भंवरी बाई बेवा श्री डालू तेली, निवासी गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री उमा पिता श्री देवा तेली, निवासी गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती जमनी बेवा श्री देवा तेली, निवासी गोगुन्दा, जिला उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं.743 न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा आदेश दिनांक 18.12.2001

* निर्णय *

दिनांक — 29-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्रीमती गणेशी पुत्री डालू तेली ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 743 तहसीलदार गोगुन्दा दिनांक 18.12.2001 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्व पुरूष हेमा थे, जिनके दो लडके देवा एवं डालू हुये। जयेष्ठ पुत्र देवा के विधिक वारिसान पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्री उमा पिता देवा एवं पत्नि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 श्रीमती जमनी बेवा देवा है एवं छोटे पुत्र डालू पिता हेमा के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री लेहरीलाल पिता डालू, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री गोपु पिता डालू, अपीलान्ट श्रीमती गणेशी पुत्री डालू एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती भंवरी बेवा डालू है। उक्त प्रकरण में मूल पुरूष हेमाजी के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा में स्थित हो नये खाता संख्या 292, 765, 188 व 293 होकर हेमाजी की मृत्यु उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 743 में डालू जी के वारिसान दोनो पुत्रों श्री लेहरीलाल व गोपू तथा पत्नि भंवरी बाई के नाम पर नामान्तरकरण कर दिया, जबकि डालू जी के विधिक वारिसान दो लडके लेहरीलाल, गोपू तथा एक लडकी अपीलान्ट गणेशीबाई व उनकी पत्नि भंवरी बाई है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुंदा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 18.12.2001 में पुत्री अपीलान्ट श्रीमती

गणेशी पुत्री डालू तेली का नाम विलोपित कर दिया है, जबकि अपीलान्ट गणेशीबाई का उक्त भूमि मे 1/8 हिस्सा निहित है। उक्त प्रकरण में पुराने खाता संख्या 292 के हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नये 85 व पुराने 65 होकर करीब 16 आराजीयात स्थित है, जिसका कुलिया क्षेत्रफल 1.3100 हेक्टेयर है। प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत अपीलान्ट गणेशी पुत्री डालू तेली का भी वादग्रस्त सम्पत्ति में अन्य वारियसान की तरह समान हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुंदा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 743 निर्णय दिनांक 18.12.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे एवं नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा आदेशित किया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किये जाने बाबत् अनुरोध किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, व 5 की ओर से श्री शिवशंकर जोशी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री रजनीश चित्तौड़ा द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम पर जवाब पेश कर अनुरोध किया कि कथित आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे मे न होकर रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे में है। अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट अपने ससुराल में निवास कर रही है एवं विवादित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई सरोकार नही है। अपीलान्ट द्वारा मात्र विवादित आराजीयात को हडपने के उद्देश्य से मयाद बाहर मिथ्या अपील पेश की है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का जवाब स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावे। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अतिरिक्त अन्य रेस्पोडेन्ट का कोई जवाब प्रस्तुत न होने से मामले में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील एवं धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रारम्भ करते हुये अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मयाद कण्डोन किये जाने हेतु अनुरोध किया तथा अनुरोध किया कि अवैध एवं मिथ्या आदेश को किसी भी समय न्यायालय में चुनोती दी जा सकती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को न्यायहित मे कांडोन किया जावे। धारा 5 मयाद अधिनियम पर अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनने एवं आर.आर.टी. 2018–19 पृष्ठ 145 प्रकरण में चस्पा होने से विलम्ब की अवधि को न्यायहित मे कण्डोन किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा मूल अपील पर बहस प्रारम्भ करते हुये अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा खोला गया

नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 18.12.2001 मे स्व0 डालू की पुत्री का नाम नामान्तरकरण में न जोडना गलत बताते हुये उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने की मांग की।

हमनें अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट के अपील, जमाबन्दी की नकल, विवादित नामान्तरकरण संख्या 743 की प्रति आदि का गम्भीरता से अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर मनन किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपीलान्ट एवं विपक्षीगण के पूर्व पुरूष हेमा का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 18.12.2001 को पारित किया गया है, जिसमें अपीलान्ट का भी हक एवं स्वामित्व भी दस्तावेज अनुसार निहित होना प्रतीत होता है, किन्तु उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट के हिस्से का कोई उल्लेख नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना, विधि विरूद्ध एवं गलत तरीके से खोला जाना जाहिर होता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 743 दिनांक 18.12.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गोगुन्दा को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विधिसम्मत नवनिर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.03 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: